



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1372

दिनांक: 31/12/2021

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. उच्च-स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित अधिशाषी अभियंताओं (सिविल) को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15600-39100/-रू. के पे बैंड में 7600/- रू. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी होंगे:


क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/507	राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री चत्तर सिंह	ई.ई./सी.डी.ओ.-3
2/544	रमेश चन्द सुपुत्र श्री प्रसादी	ई.ई./ई.एम.डी.-1/ईस्ट जोन
3/599	प्रवीन कुमार अग्रवाल सुपुत्र श्री बाबू राम गुप्ता	ई.ई./ई.एम.डी.-4/ईस्ट जोन

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रू. के वेतनमान में 7600/- रू. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) [जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 है] पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/507	राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री चत्तर सिंह	पदोन्नति पर	एस.ई.(डिजाईन)-1
2/544	रमेश चन्द सुपुत्र श्री प्रसादी	पदोन्नति पर	एस.ई./ई.सी.सी.-2/ईस्ट जोन एवं सी.डब्ल्यू.जी.
3/599	प्रवीन कुमार अग्रवाल सुपुत्र श्री बाबू राम गुप्ता	पदोन्नति पर	एस.ई./एस.सी.सी.-3/साऊथ जोन

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।



(विनीत जैन)
आयुक्त (कार्मिक)

सं.-एफ.10(60)2021 /सी.सी./ 1124

दिनांक: 31/12/2021

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. सभी मुख्य अभियंता (सिविल), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) – परियोजना, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
9. सम्बंधित अधीक्षण अभियंता (सिविल) - दि.वि.प्रा.।
10. सम्बंधित अधिशाषी अभियंता (सिविल), दि.वि.प्रा.।
11. निदेशक (कार्मिक)-1/ सतर्कता 1 - 2, दि.वि.प्रा.।
12. उप निदेशक (कार्मिक)-1, सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / आर.टी.आई. कक्ष, दि.वि.प्रा.।
13. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2022)
14. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 / पी.एम.आई.एस. / गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा.।
15. लेखाधिकारी - (संस्था.) राजपत्रित, पी.ऐ.ओ. (ई.डब्ल्यू.), सम्बंधित सी.ऐ.यू., दि.वि.प्रा.।
16. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
17. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।


(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक(गोपनीय शाखा)